# छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री में स्टॉफ कार ड्राईवर के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन कमांक 01/2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, लिखित/प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थिति की तिथि (लिखित परीक्षा दिनांक 11/02/2018 को सुबह 10.00 बजे से एवं प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 12/02/2018, 13/02/2018, 15/02/2018, 16/02/2018 एवं 17/02/2018 को सुबह 09.00 बजे से प्रारम्भ होगी) एवं प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.cghighcourt.nic.in में अपलोड कर दिया गया है।

आवेदक अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी के लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिये अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। कृपया ध्यान रखें किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय को लिखित/प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का लिखित/प्रायोगिक परीक्षा किसी अन्य तिथि/समय पर नहीं लिया जावेगा और उनका लिखित/प्रायोगिक परीक्षा हेतु दावा/अधिकार समाप्त हो जाएगा।

**लिखित परीक्षा दिनांक 11/02/2018 में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगे।**

स्टॉफ कार ड्राईवर के पदों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर स्कूटिनी पश्चात् अभ्यर्थियों को लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। लिखित/प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा।

**आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर, प्रवेश पत्र एवं वैध (valid) ट्रान्सपोर्ट (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेन्स की मूल प्रति एवं छायाप्रति सहित लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होवे।**

अभ्यर्थियों का उक्त पद हेतु चयन पश्चात् छ.ग. उच्च न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज, कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, वैध ट्रान्सपोर्ट (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेन्स, अन्य उच्च शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति तथा अभ्यर्थियों को पात्र की सूची में दिये गये रिमार्क के अनुसार आवश्यक दस्तावेज छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। किन्ही कारणवश उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर उन्हें नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है एवं उनकी चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

31.1.2018

(रजनी दुबे)
रजिस्ट्रार (विजिलेंस)–सह–
चेयरपर्सन, सब–कमेटी